E-Mail

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

विषय :–राज्य योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य सरकार राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। राज्य में विभागीय संकल्प सं0–1099 दिनांक–28.08.2018 के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान योजना के साथ समाहित कर संचालन करने की स्वीकृति दी गई। उक्त संकल्प के अनुसार केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में SECC-Data 2011 अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 28,05,753 लाभुकों को आच्छादित किया गया। इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा 60% क्रेन्द्रांश तथा राज्य सरकार द्वारा 40% राज्यांश के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ–साथ NFSA के अन्तर्गत शेष 31,20,451 लाभुक परिवारों के लिए राज्य प्रायोजित मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित किया गया, जिसके तहत सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार उक्त संकल्प के अनुसार कुल आच्छादित परिवारों की संख्या 59,26,204 है।
2. विभागीय संकल्प सं0 28(4) दिनांक–18.10.2021 द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुमोदनोपरांत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को "आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया। उक्त संकल्प के अनुसार केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत SECC-2011 DATA के अनुसार 28,05,753 लाभुक परिवारों के अलावा NFSA के अंतर्गत आच्छादित शेष 30,44,247 लाभुक परिवारों तथा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत राशन कार्डधारी 03 लाख लाभुक परिवार अर्थात कुल 33,44,247 लाभुक परिवारों को राज्य योजना के तहत लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया।
3. वर्तमान योजना के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 (SECC) के आलोक में राज्य के 28,05,753 लाभुक परिवारों को भारत सरकार के आयुष्मान भारत मुंख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5.00 लाख रूपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष तक की निःशुल्क स्वास्थ्य

बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसमें निर्धारित प्रीमियम की राशि का 60% केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होती है। शेष 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

इसके अतिरिक्त इसी योजना के अंर्तगत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित 33,44,247 लाभुक परिवारों को भी पाँच लाख रूपये प्रतिवर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इन पर आनेवाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। सम्पूर्ण योजना "आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना" के रूप में संचालित है।

4. राज्य में आयुष्मान भारत मुंख्यमंत्री जन आरोग्य योजना Hybrid mode में लागू की गई है। इसके अंतर्गत एक लाख रूपये तक की राशि चयनित बीमा कंपनी द्वारा तथा इससे उपर की राशि 5 लाख तक ट्रस्ट मोड में राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है।

5. इस योजना का लाभ देने हेतु प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। राज्य में आयुष्मान कार्ड का निर्माण Ration Card के आधार पर बनाया जा रहा है किन्तु Ration Card में प्रत्येक सदस्यों का आधार कार्ड की Seeding नहीं होने के कारण अभी सम्पूर्ण राज्य में लगभग 45% सदस्यों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है इसके कारण शेष पारिवारिक सदस्य इस लाभ से वंचित हैं।

6. इसके अतिरिक्त वर्तमान में अनेक बीमारियों के ईलाज की लागत में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप 5.00 लाख रूपये में उच्च स्तरीय गुणवतापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही हो पा रहा है।

7. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा एक अन्य महत्वाकांक्षी एवं लाभप्रद योजना "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना" संचालित है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 बीमारियों को चिन्हित किया गया है जिनका ईलाज योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों में किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 5.00 लाख तक की स्वीकृति संबंधित जिले के सिविल सर्जन 05 लाख से 10 लाख रूपये तक की राशि की स्वीकृति झारखण्ड आरोग्य सोसाईटी द्वारा दी जाती है एवं 10 लाख से अधिक 20 लाख रूपये तक की राशि की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की जाती है।

8. राज्य की जनता को स्वास्थ्य बीमा के लाभ प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों एवं उन्हें गुणवतापूर्ण उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य प्रायोजित आयुष्मान

भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के परिवार जिनकी संख्या 33,44,247 है के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के स्थान पर "मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में आच्छादित हैं एवं कालांतर में जोड़े जायेगे उनको भी योजना का लाभ दिया जायेगा।

इस योजना के संचालन के साथ-साथ सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 (SECC) के आलोक में राज्य के 28,05,753 लाभुक परिवारों हेतु केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पूर्ववत संचालित रहेगी।

इन दोनो योजनाओं का संचालन झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी के माध्यम से किया जायेगा।

9. केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा राशि 5.00 लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15.00 लाख रूपये तक प्रति परिवार प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। 5.00 लाख तक की राशि का व्यय वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा 5.00 लाख से उपर 15.00 लाख रूपये की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

10. **"मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना"** के अंतर्गत भी स्वास्थ्य बीमा लाभ की अधिसीमा 15.00 लाख रूपये प्रति वर्ष प्रति परिवार किया जाना प्रस्तावित है। इसमें एक लाख रूपये तक की स्वास्थ्य बीमा का व्यय चयनित बीमा कंपनी द्वारा तथा उससे उपर 15.00 लाख रूपये तक की राशि का वहन ट्रस्ट मोड में राज्य निधि से किया जाएगा।

11. इस संबंध में चयनित बीमा कंपनी से वर्तमान दर पर सहमति प्राप्त करते हुए झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी द्वारा MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा।

12. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना में चिन्हित सभी 21 रोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा। (परिशिष्ट–I)

13. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत सूचीबद्व सभी अस्पताल वर्तमान में इस योजना में स्वतः सम्मिलित माने जाएँगे। कालांतर में "मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" के अंतर्गत अस्पतालों से MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा।

14. "मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" के अंतर्गत संचालन हेतु राज्य स्तर पर Portal का निर्माण किया जाएगा, जिसमें राशन कार्डधारी परिवार (गुलाबी, पीला एवं हरा राशन कार्ड) के किसी एक व्यक्ति के आधार कार्ड एवं राशन कार्ड की Seeding एवं मिलान हो जाने के उपरांत राशन कार्ड में अंकित परिवार के अन्य सभी सदस्यों की विवरणी दर्ज की जा सकेगी। उक्त के आधार पर परिवार के सदस्यों को "मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना" का PVC कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्ड का प्रारूप विभागीय स्तर पर स्वीकृत किया जाएगा। कार्ड के निर्माण हेतु एजेंसी का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा एवं कार्ड निर्माण हेतु झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी को पूर्व में विभागीय सं0सं0 919 दिनांक–09.08.2019 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई राशि से कराया जाएगा।

15. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अधिसीमा में वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप अनुमानित व्यय की विवरणी निम्न प्रकार हैः–

योजना का नाम	योजना का प्रकार	वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुक परिवारों की संख्या	वर्तमान में 1 लाख रूपये तक के स्वास्थ्य बीमा लाभ के लिए निविदा के माध्यम से निर्धारित दर	राज्यांश राशि (करोड़ में)	केन्द्रांश राशि (करोड़ में)	1 लाख से उपर कुल 15 लाख रूपये तक पर अनुमानित व्यय (करोड़ में)	कुल व्यय (करोड़ में)
मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	राज्य प्रायोजित योजना	3821100	980	374.46	0	159.88	534.34
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना	केन्द्र प्रायोजित योजना	2805753	980	109.98	164.98	50.05	325.01
कुल व्यय (करोड़ में)		6626853	–	484.48	164.98	209.93	859.35

अतः उक्त के आलोक में मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संचालन में होने वाले अनुमानित व्यय में लगभग 141 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त वार्षिक व्यय की संभावित गणना की गयी।

16. प्रसंगाधीन योजना का कार्यान्वयन बजटीय मुख्य शीर्ष –2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी–102–कर्मचारी राज्य बीमा योजना–(789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना एवं 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना)–77–आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना–01 PMJAY के तहत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना–06 –अनुदान–48–अंशदान (विपत्र कोड 20एस 2210–01–102–(789 एवं 796 सहित)–77–01–06–48) से विकलनीय होगा।

17. आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन के क्रम में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत आच्छादित प्रति लाभुक परिवार प्रतिवर्ष रू० 50 की दर पर 60:40 के अनुपात में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में एवं राज्य प्रायोजित योजना हेतु प्रति लाभुक परिवार प्रतिवर्ष रू० 50 की दर पर झारखण्ड स्टेट आरोग्य सोसाईटी प्रशासनिक व्यय हेतु अलग से राशि अनुमान्य होगी।

18. Diabetes, Blood Pressure एवं Dialysis की चिकित्सा को इस योजना के साथ सम्बद्ध करते हुए सरकारी अस्पतालों में इसकी निःशुल्क दवा एवं चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

19. मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत Health Card की अनुपलब्धता की स्थिति में राशन कार्ड के आधार पर मरीज को अस्थायी Health Card उपलब्ध कराते हुए ईलाज सुनिश्चित किया जाएगा।

20. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–28.06.2024 के बैठक में मद संख्या–31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

21. इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश/संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–21 / JSAS(HD) –08–01 / 2024 - **72(21)** स्वा०,राँची,दिनांकः–02.07.2024

प्रतिलिपिः—विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट / उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–21 / JSAS(HD) –08–01 / 2024 - **72(21)** स्वा०,राँची,दिनांकः–02.07.2024

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–21 / JSAS(HD) –08–01 / 2024 - **72(21)** स्वा०,राँची,दिनांकः–02.07.2024

प्रतिलिपिः—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :–21 / JSAS(HD) –08–01 / 2024 - **72(21)** स्वा०,राँची,दिनांकः–02.07.2024

प्रतिलिपिः—अभियान निदेशक, एन0एच0एम0 / कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ / निदेशक, रिम्स / निदेशक, रिनपास / प्राचार्य / अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर / प्राचार्य / अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद / प्राचार्य / अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग / प्राचार्य / अधीक्षक, फूलो–झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका / प्राचार्य / अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू / नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना / नोडल पदाधिकारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना / सभी सिविल सर्जन / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित अस्पताल / चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

परिशिष्ट–1

गंभीर बीमारी के रूप में सूचीबद्ध रोगों की सूची

1	सभी प्रकार के कैंसर रोग
2	किडनी प्रत्यारोपण
3	गंभीर लीवर रोग
4	एसिड अटैक
5	Wiskott aldrich syndrome
6	Thalasaemia, Blood dyscrasia
7	Bone Marrow Transplant
8	Plastic Surgery in case of post trauma deformity & Burn cases
9	Retinal Detachment
10	Serious Head Injury with Craniotomy+Critical care
11	Coronary Artery Bypass Grafting/Intra aortic Ballon Pump (CABG+IABP)
12	Continuous renal replacement therapy in acute failure in ICU patient
13	Proliferative diabetic retino pathy
14	Operation of trachea oesophageal fistula
15	Meningoencephalcoel surgery
16	Penetrating keratoplasty
17	Brain hacmorrhage
18	Congenitaldeformities including facial clefts,microstia hemofacial, microsomia, teacher Collins syndrome, cronion synostosis, ectopia vasia
19	Cochlear implant
20	Duchenne Muscular dystrophy
21	Juvenile Nasapharyngeal Angiofibroma
22	उपर्युक्त के अतिरिक्त समय–समय पर विभाग के द्वारा निर्धारित अन्य रोगों का ईलाज भी इस योजना अन्तर्गत नियमानुसार अनुमान्य होगा।